संख्याः 1168/29–7–2007–जी–34/2006

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
कपूरथला काम्पलेक्स,
अलीगंज, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–7 **लखनऊ दिनांक 06 जून, 2007**

विषयः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संचालित "मिड–डे–मील" के लिए घरेलू गैस उपलब्ध कराने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत ही हैं कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार **"मिड–डे–मील"** योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उक्त भोजन पकाने हेतु घरेलू गैस की आवश्यकता होती है। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि सभी विद्यालयों में अभी घरेलू गैस के सिलेण्डर उपलब्ध नहीं हो सके है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में जहाँ पूर्व से एक सिलेण्डर उपलब्ध हो वहाँ डबल गैस सिलेण्डर तथा जहाँ पर अभी तक गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं हो पाये हो वहां सीधे–सीधे सिलेण्डर का कनेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध कराये जा रहे घरेलू गैस सिलेण्डर शासकीय योजना में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अतः उक्त सिलेण्डरों की सिक्योरिटी मनी की व्यवस्था को समाप्त किए जाने अथवा सिक्योरिटी मनी न्यूनतम/सांकेतिक निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी विचार कर निर्णय से यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(सुधीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1168 (1)/29–7–2007–जी–34/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0
(शिव जनम चौधरी)
अनु सचिव

संख्या–1184/79.6.2007–1(1)/2007

प्रेषक,

सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 06 जून, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के श्रेणीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे प्रदेश के लगभग 52 हजार ग्राम पंचायतो एवं समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा नगर निगम के अधीन संचालित लगभग एक लाख प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 01 करोड़ 86 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

विद्यालयों में प्रभावी शैक्षिक श्रेणीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्याः 489(1)/79–5–06–346/2001 टीसी0–1 दिनांक 17 मई, 2006 के अनुरूप मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों का भी श्रेणीकरण करने का निर्णय लिया गया जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैः–

1. छात्र/छात्राओं को नियमित एवं मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराना।
3. मध्यान्ह भोजन योजना का सतत् मूल्यांकन करना।
4. मध्यान्ह भोजन योजना को और अधिक प्रभावी बनाना।
5. ड्राप आउट दर कम करना एवं शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना।

मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित विद्यालय की श्रेणी को शैक्षिक श्रेणीकरण वाले बोर्ड पर ही अंकित किया जायेगा।

1. मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु कुल 06 मानक निम्नवत निर्धारित किये हैं :–

बिन्दु सं0	मानक	अंक
1	भोजन की उपलब्धता	40
2	भोजन की गुणवत्ता	15
3	भौतिक संसाधन की उपलब्धता	10
4	स्वच्छता	15
5	पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति	10
6	अभिलेखों का रख रखाव	10

2. श्रेणीकरण से सम्बन्धित मानक बिन्दु एवं तत् सम्बन्धी प्रपत्र ***(संलग्नक–1)*** के आधार पर विद्यालयों को अ, ब, स, द श्रेणी प्रदान की जायेगी। मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों का श्रेणीकरण प्रत्येक दो माह में एक बार एन0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा श्रेणीकरण हेतु प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा, जिसे भरने के विस्तृत निर्देश ***संलग्नक–2*** में उल्लिखित है। अ, ब, स, द श्रेणी प्राप्त करने हेतु निर्धारित अंक निम्न तालिका में दर्शित हैं।

अंक	श्रेणी
75–100	अ
60–74	ब

50–59	स
35–49	द

3. उक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रधानाध्यापक/एन0पी0 आर0सी0/बी0आर0सी0, प्रति विद्यालय निरीक्षक अथवा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दायित्व ***संलग्नक–3*** के अनुसार निर्धारित किये गये है।

4. समस्त अधिकारी यह प्रयास करेंगे, कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अभिभावकों तथा रसोइयां से भी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली जाय। यदि श्रेणीकरण से यह ज्ञात होता है, कि मध्यान्ह भोजन योजना के विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन मे कोई कमियाँ/समस्या है, तो उक्त के सुधार की कार्यवाही तत्काल की जाय।

5. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत श्रेणीकरण प्रपत्र भरे जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदीय अधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जायेगा। जनपद के अन्य कनिष्ठ अधिकारी, विकासखण्ड एवं उसके अधीन इकाइयों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण जनपदीय डायट/बी0आर0सी0 द्वारा आयोजित किया जायेगा।

6. कृपया उपरोक्त निर्देशो का प्राथमिक विद्यालयों में कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे मध्यान्ह भोजन से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को नियमित रूप से गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्नकः–उक्तवत्

भवदीय
ह0
(मनोज कुमार)
सचिव

संख्याः /07–08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना, निशातगंज लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
5. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(आर0सी0घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

संलग्न–1

मध्यान्ह भोजन द्वारा विद्यालय का श्रेणीक्रम

क्र0	मुख्य बिन्दु	अंक	उप बिन्दु	अंक	प्राप्तांक

1	भोजन की उपलब्धता	40	भोजन नियमित रूप से बन रहा है। ।ध्ठग्10 ।. माह में कितने दिन बना। ठ. माह में कार्य दिवसों की संख्या।	10	
			भोजन मीनू के अनुसार बन रहा है। ।ध्ठग्10 ।. माह में कितने दिन बना। ठ. माह में कार्य दिवसों की संख्या।	10	
			निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य सामग्री का प्रयोग।	10	
			मीनू वाल पेन्टिंग का निर्धारित मानक के अनुसार होना	5	
			छात्रों का अनुशासित ढंग से भोजन करना	5	
2	भोजन की गुणवत्ता	15	खाद्यान्न की गुणवत्ता।	5	
			भोजन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता।	5	
			भोजन को अध्यापको/अभिभावकों द्वारा चखा जाना।	5	
3	भौतिक संसाधन की उपलब्धता	10	खाना बनाने व परोसने के बर्तन की उपलब्धता एवं पर्याप्तता।	2.5	
			रसोई कक्ष का उपयोग।	2.5	
			रसोइया की उपलब्धता एवं पर्याप्तता।	2.5	
			गैस चूल्हे की उपलब्धता एवं प्रयोग	2.5	
4	स्वच्छता	15	बच्चों की स्वच्छता, भोजन के पूर्व तथा बाद में हाथ धोना।	3	
			विद्यालय परिसर व रसोई की स्वच्छता।	3	
			स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।	3	
			प्रयुक्त बर्तनों की स्वच्छता।	3	
			खाद्य सामग्री की स्वच्छता एवं रख–रखाव।	3	
5	पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति ।ध्ठग्100 ।. निरीक्षण के दिनों की औसत उपस्थिति ठ. पंजीकृत छात्र	10	80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक	10	
			60–79 प्रतिशत	6	
			40–59 प्रतिशत	4	
6	अभिलेखों का रख–रखाव	10	खाद्यान्न से सम्बन्धित अभिलेखों का व्यवहरण।	3	
			परिवर्तन लागत से सम्बन्धित अभिलेखों का व्यवहरण।	3	
			रसोइये के मानदेय से सम्बन्धित अभिलेख।	2	
			ग्राम समिति की बैठक से सम्बन्धित अभिलेख।	2	

संलग्नक–2

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय, श्रेणीकरण निर्देश

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता ज्ञात करने, नियमित भोजन बनाने, स्वच्छता, शत प्रतिशत उपस्थिति ज्ञात करने के उद्वेश्य से विद्यालय श्रेणीकरण हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गये है।,

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय श्रेणीकरण हेतु कुल 100 अंक रखे गये है। जिनका निम्नवत् विभाजन है :–

क्र0सं0	श्रेणीकरण हेतु बिन्दु	अंक
1	भोजन की उपलब्धता	40
2	भोजन की गुणवत्ता	15
3	भौतिक संसाधन की उपलब्धता	10
4	स्वच्छता	15
5	पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति	10
6	अभिलेखों का रख रखाव	10
	योग	**100**

1. भोजन की उपलब्धता–40 अंक

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को निर्धारित मानक एवं मीनू के अनुसार नियमित भोजन उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है इसलिए इस हेतु कुल 40 अंक निर्धारित किये गये हैं।

1(अ) भोजन नियमित रूप से बन रहा है – 10

इसका आगणन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा

।ध्ठग10 ।त्र माह में कितने दिन भोजन बना।

ठत्र माह में कार्य दिवसो की संख्या।

1(ब) भोजन मीनू के अनुसार बन रहा है – 10

।ध्ठग10 ।त्र माह में कितने दिन मीनू के अनुसार भोजन बना।

ठत्र माह में कार्य दिवसो की संख्या।

1(स) निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य सामग्री का प्रयोग – 10

1(द) मीनू वाल पेटिंग निर्धारित मानक के अनुसार होना – 05

1(य) छात्रों का अनुशासित ढंग से भोजन करना – 05

योग – 40

2. भोजन की गुणवत्ता–15 अंक अधिकतम

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को खाद्यान्न एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री का गुणवत्ता पूर्ण होना एवं पके हुए भोजन को अध्यापकों/अभिभावकों द्वारा चखा जाना आवश्यक है। इस हेतु 15 अंक निर्धारित किये गये हैं।

2(अ) खाद्यान्न की गुणवत्ता – 05

2(ब) भोजन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता – 05

2(स) भोजन का अध्यापकों/अभिभावकों द्वारा चखा जाना – 05

योग – 15

3. भौतिक संसाधन की उपलब्धता–10 अंक

मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए किचन शेड बर्तन, गैस चूल्हा एवं खाना बनाने वाले व्यक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में 15 अंक निर्धारित किए गये है।

3(अ) खाना बनाने व परोसने के बर्तन की उपलब्धता एव पर्याप्तता	– 2.5
3(ब) रसोई कक्ष का उपयोग	– 2.5
3(स) रसोइयों की उपलब्धता एवं पर्याप्तता	– 2.5
3(द) गैस चूल्हे की उपलब्धता एवं प्रयोग	– 2.5
योग	**– 10**

4. स्वच्छता–15

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों एवं रसोइयों का स्वच्छ होना, विद्यालय परिसर, पेय जल, प्रयुक्त खाद्य सामग्री एवं बर्तन की स्वच्छता आवश्यक है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किये गये है।

4(अ) बच्चों द्वारा भोजन के पूर्व तथा बाद में हाथ धोना	– 03
4(ब) विद्यालय परिसर व रसोई की स्वच्छता	– 03
4(स) स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता	– 03
4(द) प्रयुक्त बर्तन की स्वच्छता	– 03
4(य) खाद्य सामग्री की स्वच्छता एव रख रखाव	– 03
योग	**– 15**

5. पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति–10 अंक

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों का विद्यालय में नामांकन के प्रति नियमित रूप से उपस्थित होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किये गये है। गुणांक का आगणन निम्नवत् होगा :–

|ध्ठग100 |त्र निरीक्षण के दिनों की औसत उपस्थिति

ठत्र पंजीकृत छात्र

5(अ) 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपस्थिति	– 10
5(ब) 60–79 प्रतिशत उपस्थिति	– 06
5(स) 40–59 प्रतिशत उपस्थिति	– 04
योग	**– 10**

6. अभिलेखों का रख रखाव–10 अंक

प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न, परिवर्तन लागत एवं रसोइये के मानदेय सम्बन्धी अभिलेखों का रख रखाव ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक का रजिस्टर रखना इस योजनान्तर्गत अति आवश्यक है। इसके लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित किये गये है।

6(अ) खाद्यान्न से सम्बन्धित अभिलेखों का व्यवहरण	– 03
6(ब) परिवर्तन लागत सम्बन्धी अभिलेखों का व्यवहरण	– 03
6(स) रसोइये के मानदेय से सम्बन्धित अभिलेख	– 02
6(द) ग्राम समिति की बैठक सम्बन्धित अभिलेख	– 02
योग	**– 10**

क्रमांक 01 से 06 बिन्दुओं में प्राप्त अंकों के अधार पर निम्नलिखित श्रेणी दी जायेगी।

अंक	श्रेणी
75—100	अ
60—74	ब
50—59	स
35—49	द

विद्यालय को प्राप्त श्रेणी का अंकन विद्यालय के सूचनापट पर की जायेगी।